2

अंचल अधिकारी तोपचांची का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– 24 (IX) 16.17

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा– नीरा, थाना– 173, खाता संख्या– 156, प्लॉट संख्या– 712, रकबा– 0.50, एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– 2, के पृष्ठ संख्या– 415, पर जमाबंदी रैयत बिहार सरकार के नाम से कायम है। दासो मांझी

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक– 15.10.16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
30.8.16

E:\Sec 5 New\Awaidh Jamabandi.docx

	पुनश्चः
27.02.2020	अभिलेख उपस्थापित। कोबिड –19 में व्यस्तता रहने के कारण अभिलेख का कार्रवाई नहीं किया जा सका। अभिलेख दिनांक ...14.07.2020.......को रखें। अंचल अधिकारी, तोपचाँची।
14.07-2020	अभिलेख उपस्थापित। कोबिड –19 के तहत विधि –व्यवस्था में व्यस्तता रहने के कारण अभिलेख का कार्रवाई नहीं किया जा सका। अभिलेख दिनांक .28.11.2020.. ... को रखें। अंचल अधिकारी, तोपचाँची।

28/11/20

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त। नोटिस का तामिला प्राप्त। नोटिस के आलोक में किसी जमाबंदी रैयत या उनके वंशज द्वारा आपत्ति और ना ही राजस्व कागजात समर्पित करने हेतु समय का मॉग किया गया है। संवंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि मौजा ....गोरो........ मौजा नं0 .....173...... खाता नं0 ....156....... .. प्लॉट नं0 ....712........ .... रकवा ....0.50....... से संवंधित है, जो खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खाते की भूमि है। जिसका पंजी ।। के जमाबंदी भोलुम नं0 ....415.......के पृष्ट सं0 .... में रैयत ....[illegible]......... .... सा0 – .... के नाम से कायम है। उपरोक्त जमाबंदी के प्रॉधिकार कॉलम में , बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर /सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्वेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि की विवरणी की सृजित जमाबंदी अवैध / संदिग्ध प्रतित होता है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे रद्द करने की अनुशंसा किया जाता है। साथ ही, अभिलेख की कार्रवाई को ....समाप्त....... किया जाता है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार, उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

28/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

28/11/20
अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

२४

25

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :— दासो मांझी पिता ठाकुर मांझी
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :—

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
नेरी	173 -	156 -	712	0.50 ए०

3. जमाबंदी पंजी—II के जिल्द संख्या......2........ पृष्ठ सं०—..415..... पर कायम है —
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है —
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :— बिहार सरकार
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :—
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :—
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती — बन्दो वाद सं० 12/88-89
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू—हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष —

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
33 -	067252 —	25.8.89 -	1995-96 तक

CI

16.7.16

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख स0 24 (IX) / 2016–17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम

दासी माझी

पिता – ठाकुर माझी

ग्राम – नेरो पों0

थाना – .... जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा नेरो थाना न0 173 खाता न0 156 प्लॉट न0 712 रकवा 0.50 एकड़ से संबधित आपके नाम से हल्का न0 IX के पंजी II भाग 2 के पृष्ठ 415 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबध मे दिनांक 15.10.2016 को समय 11:00 बजे पूर्वा0 में उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमीदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य टोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यायल प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि रिथति में समझा जायेगा कि उक्त संबध मे आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध मे युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

तिथि :–

स्थान :– तोपचाँची

मुहर

अंचल अधिकारी

तोपचँची

30.8.16